

रजिस्ट्री सं० बी० (बी०)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 458] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3, 1979/कार्तिक 12, 1901
No. 458] NEW DELHI, SATURDAY NOV. 3, 1979/KARTIKA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation.

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1979

का. मा. 635(अ).—केन्द्रीय सरकार, चोर बाजारी निवारण और
आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 (1979 का 10) की धारा 9 की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र उच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार, उक्त अध्यादेश के प्रयोजनार्थ एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

1. श्री न्यायमूर्ति आर. एन. अग्रवाल, न्यायाधीश, दिल्ली, उच्च न्यायालय,

सदस्य

2. श्री न्यायमूर्ति एम. एस. जोशी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय,
3. श्री न्यायमूर्ति एम. एल. जैन, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

[फा. सं. 11(3)/79-ई. सी. आर.]

के. नारायणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 3rd November, 1979

NOTIFICATION

S.O. 635(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Ordinance, 1979 (10 of 1979), and in accordance with the recommendations of the Chief Justice of the High Court for the Union Territory of Delhi, the Central Government hereby constitutes for the purpose of the said Ordinance an Advisory Board consisting of the following, namely :—

CHAIRMAN

1. Mr. Justice R. N. Aggarwal, Judge of the Delhi High Court.

MEMBERS

2. Mr. Justice M. S. Joshi, Judge of the Delhi High Court.
3. Mr. Justice M. L. Jain, Judge of the Delhi High Court.

[File No. 11(3)/79-ECR]

K. NARAYANAN, Jt. Secy.